न्यायालय,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसवाड़ा,

(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - राम सुरेश प्रसाद

R.J.S.(D.J. Cadre)

दीवानी अपील संख्या 44/2025

श्रीमती राखी सोनी पति चन्द्रकान्त सोनी, निवासी कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा - अपीलार्थी/वादी

बनाम

01. सरपंच, ग्राम पंचायत कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा
i. प्रशासक (वर्तमान में), ग्राम पंचायत कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा
02. विकास अधिकारी, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा
03. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा
04. सरकार जरिये जिला कलकटर, बांसवाड़ा
05. कमल पटेल पिता कालु कलाल, निवासी पुलिस थाना कलिंजरा के पास, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा - प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2025 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बागीदौरा, पीठासीन अधिकारी श्री अरूण प्रकाश आर्य, आर.जे.एस. द्वारा दीवानी प्रकरण संख्या 15/2018, राखी सोनी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत कलिंजरा एवं अन्य से असंतुष्ट व व्यथित होकर प्रस्तुत अपील

दीवानी अपील अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रतिनिधित्व -

1. श्री भालचन्द्र नागर, अधिवक्ता, अपीलार्थी/वादी की ओर से
2. श्री महेन्द्र गांधी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से
3. श्री योगेश सोमपुरा, लोक अभियोजक, प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 की ओर से
4. श्री रवि पुरी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19 मार्च, 2026

1. यह अपील अपीलार्थी/वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बागीदौरा के पीठासीन अधिकारी श्री अरूण प्रकाश आर्य,

आर.जे.एस. द्वारा मूल दीवानी प्रकरण संख्या 15/2018 कालिया बनाम राखी सोनी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत कलिंजरा एवं अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2025 के विरूद्ध पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया ग्राम कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा की स्थायी निवासी होकर विगत 25 वर्षों से ग्राम पंचायत कलिंजरा में स्थित भूमि पर श्रृंगार स्टोर का व्यवसाय गुमटी बनाकर कर रही है। इससे पूर्व वादिया की सास विगत 40 वर्षों से वादग्रस्त दुकान की भूमि पर गुमटी बना कर व्यापार कर रही थी। वादग्रस्त दुकान संलग्न नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शायी गयी होकर जिसकी साईज उत्तर-दक्षिण 11 फीट 6 इंच, पूर्व-पश्चिम 17 फीट 10 इंच, जिसके पूर्व में दाहोद बांसवाडा मैन रोड, पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 1 की जमीन व दुकान, उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 की दुकान, दक्षिण में प्रतिवादी संख्या 1 की जायदाद, वाके कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वर्ष 2007-08 में एक प्रस्ताव लेकर ग्राम पंचायत कलिंजरा की भूमि पर ग्राम पंचायत कलिंजरा के विकास व उत्थान के लिए दुकाने बनाकर आवंटन करने का लक्ष्य तय किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत की भूमि पर जिसके द्वारा गुमटी बनाकर व्यापार किया जा रहा है, उसे प्राथमिकता से ग्राम पंचायत कलिंजरा की दुकाने निर्मित होने के पश्चात दुकान आवंटित की जायेगी। इसके सम्बन्ध में दिनांक 05.04.2017 व दिनांक 05.05.2017 को ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा एक प्रस्ताव लिया गया तथा उक्त प्रस्ताव में वादिया को 12X15 फीट की दुकान आवंटन करना तय किया गया। इसके पश्चात वादिया द्वारा ग्राम पंचायत की भूमि में से अपनी दुकान हटा लेने के पश्चात ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा संलग्न नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी व उससे लगती हुई अन्य दुकानें निर्मित की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा पंचायत की जमीन पर दुकाने निर्मित होने के पश्चात् वादग्रस्त दुकान व उससे लगती हुई दुकानों को पूर्व में लोगों को व प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को गलत तरीके से आवंटन कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 विकास अधिकारी बागीदौरा द्वारा अपने पत्र कमांक पं.स.बा/प्रगति/10-11/1360-61 दिनांक 05.10.2010 को ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया गया। उसके पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान व उससे लगती हुई दुकान को वर्तमान में पुनः गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल व अन्य लोगो को आवंटित की जा रही है। वादिया द्वारा वादग्रस्त दुकान, जो संलग्न नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शायी गयी है, उक्त दुकान निर्मित होने से पूर्व उस जमीन पर श्रृंगार

स्टोर का व्यवसाय कर रही थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिखित प्रस्ताव लेकर वादग्रस्त दुकान का निर्माण किया जाकर वादिया को आवंटित किया जाना तय किया गया था, परन्तु वादग्रस्त दुकान का निर्माण होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान का आवंटन वादिया द्वारा निवेदन किये जाने के पश्चात् भी नहीं कर प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को किया जा रहा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा पूर्व में ही पुराना विश्रान्ति गृह के पास दुकान दे रखी है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल कमल रेस्टोरेन्ट के नाम से होटल चला रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा प्रतिवादी संख्या 5 को नियमानुसार व कानूनी रूप से दोहरा लाभ प्रदान कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति को नियमानुसार ग्राम पंचायत की दुकान आवंटित की गयी है, उसी व्यक्ति को दूसरी बार दुकान आवंटित नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान का आवंटन वादिया को नहीं करने के कारण वादिया ने दिनांक 14.07.2014 को सुगम समाधान में इस बाबत आपत्ति दर्ज करवाई। उसके पश्चात् वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा को दिनांक 04.06.2017 को लक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके पश्चात् वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 विकास अधिकारी बागीदौरा को दिनांक 09.07.2018 को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके पश्चात् दिनांक 19.06.2018 को वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बांसवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी व वादिया द्वारा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय जयपुर को भी इस बाबत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण वादिया द्वारा दिनांक 19.06.2018 को अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को रजिस्टर्ड नोटिस ए.डी. प्रस्तुत किया, उसके पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त दुकान का आवंटन वादिया को नहीं किया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई विधिसम्मत कार्यवाही की गयी है, जबकि वादिया, प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त दुकान का विधि सम्मत किराया अदा करने को तैयार है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त दुकान को प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत निकाय होकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के अधीनस्थ कार्य कर रहा है, जिस कारण न्यायहित में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है कि वे वादग्रस्त दुकान का आवंटन प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को नहीं करें। वादिया का प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादिया के पक्ष में है। यदि

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वादग्रस्त दुकान का आवंटन प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में किये जाने से नहीं रोका गया तो बाद की बाहुल्यता बढेगी एवं वादिया को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से नहीं किया जा सकेगा, जिससे अंत में वादिया का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुए वादिया के हक में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया कि वाद चरण संख्या 1 में बताई गयी वादग्रस्त दुकान को वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत से किराये पर दिलायी जावे। दिनांक 05.04.2017 व 05.05.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा जो प्रस्ताव लिया गया है, उसकी पालना कराई जाये। दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा बादग्रस्त दुकान का आवंटन/किराये पर प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को कर देवे तो पुनः वादग्रस्त दुकान को वादिया को दिलाई जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद चरण संख्या 1 में दर्शायी गयी दुकान में वादिया के उपभोग व उपयोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, रूकावट या व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। दौराने वाद अगर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादग्रस्त जायदाद को अन्य किसी को रहन, बन्धक, विक्रय कर दी जाती है तो भी वह वाद प्रस्तुत करने की पूर्व स्थिति कायम की जावे। यदि प्रतिवादीगण वाद लम्बन काल में रिकॉर्ड में या मौके पर वादग्रस्त दुकान पर कोई निर्माण कार्य कर देवे या सम्पत्ति को अन्तरित कर देवे या अन्य प्रकार से कब्जा अन्तरित कर देवे या सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या परिवर्तित या परिवर्धित कर देवे तो ऐसी प्रविष्टि को या कृत्य आदेशात्मक के आदेश से पूर्व स्थिति को पुनः स्थापित किये जाने के आदेश किये जाये।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादिया द्वारा ग्राम पंचायत कलिजरा, पंचायत समिति बागीदौरा, जिला परिषद बांसवाडा एवं राजस्थान राज्य को मामले में पक्षकार नहीं बनाया है। सरपंच विभाग के अधिकारी एवं प्राधिकारी, जिला कलेक्टर उनके द्वारा धारण किये गये पद के नाम पर कानूनन बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अथवा कार्यवाही सस्थित नहीं की जा सकती। अधिकारी या प्राधिकारी या सरपंच विधिक व्यक्ति नहीं है। इस पर वादिया का वाद आदेश 27 नियम 1 एवं आदेश 29 नियम 1 सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानी के विपरीत होने से पोषणीय नहीं है एवं इस प्रक्रम पर अपास्तनीय नहीं होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा पूर्व में एक वाद समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकार के मध्य श्रीमान न्यायालय में आज्ञापक ब्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा का संस्थित किया था, जो मूल वाद संख्या 12/2018 से पंजीबद्ध होकर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा बाद को प्रीमेच्योर मानकर अपास्त कर खारिज कर दिया है। उक्त आदेश में

वादिया को इसी विषयवस्तु एवं पक्षकार के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत करने की विधिक अनुज्ञा प्रदत्त नहीं की है। बादिया द्वारा अपने उक्त वाद में धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना उल्लेखित किया था। वर्तमान प्रकरण में उसी सूचना पत्र को आधार मानकर नया वाद हेतुक मानकर नये सिरे से पुराने बाद में वर्णित सूचना पत्र को ही आधार मान कर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्राडन्याय के सिद्धान्त से वादिया बाधित है। बादिया ने जिस विषयवस्तु/तथ्यों का उल्लेख अपने नोटिस में किया है, वह विषय/तथ्य के विपरित वादपत्र में उक्त तथ्य वर्णित किये है, इस प्रकार वादिया का वाद विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लेधन कर प्रस्तुत किया है, इस कारण इसी प्रक्रम पर अपास्तनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादिया का वाद स्थापित विधि के विपरीत है। वादिया द्वारा विधि की गंभीर भूल की है, जो क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है। वादिया द्वारा पंचायतीराज संस्था व उसके अधिकारीयों को कोई पूर्व सूचना पत्र से भिन्न सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया है, इस कारण वर्तमान वाद का व्यवहार कारण उत्पन्न ही नही है तथा वादिया का वाद अपास्त किये जाने योग्य है। पंचायत राजकीय संस्थान है तथा पंचायत की सम्पत्तिया सार्वजनिक सम्पत्तियों में समाविष्ट होती है। सार्वजनिक परिसर की किरायेदारी से सम्बन्धित समस्त विवादों का निपटारे का अधिकार सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के प्रावधानों में सम्पदा अधिकारी को प्राप्त है। सम्पदा अधिकारी के निर्णय की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय जिला न्यायाधीश को प्राप्त है, जिस कारण भी वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से बिचारण योग्य नही है। वादीया ने अपने बाद में ग्राम पंचायत कलिंजरा की बैठक एवं ग्राम सभा में लिये गये निर्णय/प्रस्ताव को प्रश्नगत किया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका राज्य सरकार को संस्थित की जायेगी, इस कारण वादिया का वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के सर्वदा विपरित होने से इस प्रक्रम पर अपास्तनीय है। आम रास्ते पर अपनी गुमटी लगाकर अस्थाई रूप से व्यापार करने से वादिया अतिक्रमी की श्रेणी में आती है तथा सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालों को कानूनन कोई अनुतोष प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक भूमि पर अस्थाई व्यवसाय की हटाने का विधिक अधिकार है। इस चरण में वर्णित क्षेत्रफल की कोई दुकान मोके पर स्थित नहीं है, सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या मनगंढत एवं निराधार है। गुमटी बनाकर व्यापार करने वालो को प्राथमिकता से ग्राम पंचायत द्वारा दुकाने आवंटित करने का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। प्रश्नगत वाद सलग्न नक्शा में मार्क ए, बी, सी, डी दुकान

आवंटित करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। ग्राम पंचायत को निर्णय लेने का/उसमें परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार है। वादिया किसी प्रकार से ग्राम पंचायत कलिंजरा को दुकान का आवंटित करने एवं किराये पर देने हेतु विधिक रूप से बाध्य नहीं कर सकती है। वाद संलग्न नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी दर्शायी गयी जमीन पर वादिया किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर रही थी तथा न ही बादिया को ए, बी, सी, डी हदुद वाली दुकान आवंटित करने का तय किया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा कॉम्पलेक्स की भूमि में उक्त मार्क ए, बी, सी, डी वाली दुकान नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा कॉम्पलेक्स परिसर में निर्मित दुकानो का नजरी नक्शा अलग से पेश है। वादिया द्वारा सही नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है। वादिया ने ग्राम पंचायत के विरूद्ध अनेक शिकायते की है, लेकिन जांच में सभी शिकायते मिथ्या पायी गयी है। जहाँ तक सूचना पत्र का विषय है, उसमें उल्लेखित तथ्य एवं वाद में उल्लेखित तथ्यों में विरोधाभास है। वादिया ग्राम पंचायत को विधिवत कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिससे वादिया का वाद खारिज करने योग्य हे तथा ग्राम पंचायत को सार्वजनिक भूमियों पर अस्थाई व्यवसाय को हटाने के विधिक अधिकार है, जिससे अंत में वादिया का वाद सव्यय खारिज किया जाकर हर्जा खर्चा दिलाये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 5 के द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादिया द्वारा ग्राम पंचायत कलिंजरा, पंचायत समिति बागीदौरा, जिला परिषद बांसवाडा एवं राजस्थान राज्य को मामले में पक्षकार नहीं बनाया है। सरपंच, विभाग के अधिकारी अथवा प्राधिकारी, जिला कलेक्टर उनके द्वारा धारण किये गये पद के नाम पर कानूनन वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता अथवा कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकती। अधिकारी या प्राधिकारी या सरपंच विधिक व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार बादिया का वाद आदेश 27 नियम 1 एवं आदेश 29 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित होने से पोषणीय नहीं है एवं इसी प्रक्रम पर अपास्तनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा पूर्व में एक वाद समान विषयवस्तु एवं समान पक्षकार के मध्य न्यायालय में आज्ञापक व्यादेश एवं स्थाई निषेधाज्ञा का संस्थित किया था, जो मूल वाद संख्या 12/2018 से पंजीबद्ध होकर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा वाद को प्रिमेच्योर मानकर अपास्त कर खारिज कर दिया हैं। उक्त आदेश में वादिया को इसी विषयवस्तु एवं पक्षकार के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत करने की विधिक अनुज्ञा प्रदत्त नहीं की है। वादिया द्वारा अपने उक्त वाद में धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना उल्लेखित किया था। वर्तमान प्रकरण में उसी सूचना पत्र को आधार मानकर नया वाद हेतुक मानकर नये सिरे से पुराने वाद में वर्णित सूचना

पत्र को ही आधार मानकर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानो के विपरित है तथा प्राडन्याय के सिद्धांत से वादिया बाधित है। वादिया ने जिस विषयवस्तु/तथ्यों का उल्लेख अपने नोटिस में किया है, वह विषय/तथ्य के विपरीत बादपत्र में उक्त तथ्य वर्णित किये हैं, इस प्रकार वादिया का वाद विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रस्तुत किया है, इस कारण इसी प्रक्रम पर अपास्तनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है। वादिया द्वारा विधि की गंभीर भूल की है, जो क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है। वादिया द्वारा पंचायतीराज संस्था व उसके अधिकारियों को कोई पूर्व सूचना पत्र से भिन्न सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया है, इस कारण वर्तमान वाद का व्यवहार कारण उत्पन्न ही नहीं है तथा वादिया का वाद अपास्त किये जाने योग्य है। पंचायत राजकीय संस्थान है तथा पंचायत की सम्पत्तियां सार्वजनिक सम्पत्तियों में समाविष्ट होती है। सार्वजनिक परिसर की किरायेदारी से सम्बन्धित समस्त विवादी का निपटारे का अधिकार सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के प्रावधानों में सम्पदा अधिकारी को प्राप्त है। सम्पदा अधिकारी के निर्णय की अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय जिला न्यायाधीश को प्राप्त है, जिस कारण भी वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण योग्य नहीं है। वादिया ने अपने वाद में ग्राम पंचायत कलिंजरा की बैठक एवं ग्रामसभा में लिये गये निर्णय/प्रस्ताव को प्रश्नगत किया हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका राज्य सरकार को संस्थित की जायेगी, इस कारण वादिया का वाद भी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के सर्वदा विपरीत होने से इसी प्रक्रम पर अपास्तनीय है। वादिया ने आज्ञापक व्यादेश व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के लिये संस्थित किया था, जो मूलवाद संख्या 12/2018 से पंजीबद्ध होकर न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा बाद को प्रिमेच्योर मानकर अपास्त कर खारिज कर दिया है। उक्त आदेश में वादिया को इसी विषयवस्तु एवं पक्षकार के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत करने की विधिक अनुज्ञा प्रदत्त नहीं की है। वादिया द्वारा अपने उक्त वाद में धारा 80(2) सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना उल्लेखित किया था। वर्तमान प्रकरण में उसी सूचना पत्र को आधार मानकर नया वाद हेतुक मानकर नये सिरे से पुराने वाद में वर्णित सूचना पत्र को ही आधार मानकर यह वाद प्रस्तुत किया है, जो धारा 11 सिविल प्रक्रिया सहिता एवं धारा 109 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानो के सर्वदा विपरीत है। आम रास्ते पर अपनी गुमटी लगाकर अस्थाई रूप से व्यापार करने से वादिया अतिक्रमी की श्रेणी में आती है तथा सार्वजनिक सडक

पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वालो को कानूनन कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक भूमियों पर अस्थाई व्यवसायी को हटाने के विधिक अधिकार है। इस चरण में वर्णित क्षेत्रफल की कोई दुकान मौके पर स्थित नहीं है, सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या एवं मनगढंत एवं निराधार हैं। ग्राम पंचायत कलिंजरा ने प्रस्ताव दिनांक 24.01.2008 को पारित किया गया कि "आज दिनांक 24.01.2008 को ग्राम पंचायत भवन में श्रीमती तोला देवी सरपंच की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बस स्टेण्ड पर कॉम्पलेक्स निर्माण के बारे में जो पूर्व में दिनांक 16.11.2007 की ग्राम सभा में अनुमोदन किया जा चुका है, को शीघ्र ही राशि की व्यवस्था कर बनाने का निर्णय लिया गया, जो सर्वप्रथम चार दुकानदारो को दुकान आवंटन करने व अग्रिम राशि लेने का निर्णय लिया गया, जिसमें कमलजी पिता कालुजी, देवीलाल पिता वासुदेव, धनपाल पिता गुलाबजी, मनोहर पिता बन्शीलाल इन चारों से राशि अग्रिम लेने का निर्णय लिया गया व शीघ्र ही कॉम्पलेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। बाकी दुकान निर्मित होने पर ग्राम पंचायत बैठक के अनुसार ही निर्णय लिया जायेगा। उक्त प्रस्ताव में गुमटी बना कर व्यापार करने वालों को प्राथमिकता से ग्राम पंचायत द्वारा दुकानें आवंटित करने का प्रस्ताव पारित नहीं किया। दिनांक 15.03.2017 को वादिया को कॉम्पलेक्स में दुकान आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन वादिया को प्रश्नगत दुकान आवंटित करने का कोई पस्ताव पारित नहीं किया। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत कलिंजरा ने अपने प्रस्ताव दिनांक 12.09.2018 को वादिया को दुकान संख्या 10 आवंटन कर दिया है। ग्राम पंचायत को निर्णय लेने का/उसमें परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण विधिक अधिकार है। वादिया किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत कलिंजरा ने दुकान का आवंटित करने हेतु विधिक रूप से बाध्य नहीं कर सकती। वादिया ने दुकान विशेष के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है जिसका वादिया को कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 05 को प्रतिभूति की राशि जमा कर दुकान संख्या 13 आवंटित की गई है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 05 अप्रेल, 2016 से काबिज है। प्रतिवादी संख्या 05 ग्राम पंचायत कलिंजरा का स्थाई किरायेदार 40 वर्ष से है। वादिया किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। वादिया को दुकान का आवंटन किया जा चुका है, लेकिन उसके द्वारा कोई व्यवसाय नहीं कर सार्वजनिक रास्ते में ही गुमटी लगा कर अतिक्रमण करने पर आमादा है। वादिया के वाद का श्रवणाधिकार एवं अधिकारिता क्षेत्र माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के अनन्य एवं विशिष्ट आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत वादिया का वाद न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के अभाव में इसी प्रक्रम पर अपास्तनीय है।

वादिया की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 तथा प्रतिवादी संख्या 05 के जवाबों का पृथक-पृथक जवाबउलजवाब पेश कर कथन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 आवश्यक पक्षकार हैं, जिस कारण उन्हें राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के तहत लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात् 60 दिन की अवधि गुजरने पर यह वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वादिया द्वारा पूर्व में न्यायालय में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एक वाद बाबत आज्ञापक व्यादेश, स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसका प्रकरण संख्या सीओ 12/2018 होकर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत कलिजरा उक्त प्रकरण में पक्षकार होने के कारण राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के प्रावधानों के अनुसार लिखित नोटिस दिये जाने के 60 दिन की अवधि से पूर्व दावा प्रस्तुत करने के कारण खारिज कर दिया गया है, परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 19.06.2018 से वर्तमान दाबा प्रस्तुत करने तक 60 दिन की अवधि पूर्ण होने के कारण यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस कारण प्रस्तुत वाद में धारा 11 रेस ज्युडिकेटा का सिद्धांत लागु नहीं होता है। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विधिवत 60 दिन का नोटिस प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादिया द्वारा प्रस्तुत नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई काय वाही नहीं करने के कारण वादिया द्वारा उन्हे उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादिया द्वारा पूर्व में 25 वर्षों से ग्राम पंचायत कलिंजरा की भूमि पर श्रृंगार स्टोर का व्यवसाय गुमटी लगाकर कर रही थी, इससे पूर्व वादिया की सास 40 वर्षों से वादग्रस्त दुकान की भूमि पर गुमटी बनाकर व्यापार कर रही थी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस सम्बन्ध में कभी भी वादिया व उसकी सास के विरूद्ध अतिकमी मानकर किसी भी प्रकार की कोई कायवाही नहीं की है। प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा विधिवत वादिया के पक्ष में दिनाक 05.04.2017 व दिनांक 05.05.2017 को प्रस्ताव लिया है। अगर वादग्रस्त दुकान की भूमि पर वादिया का किसी भी प्रकार का कोई स्थाई कब्जा व स्वामित्व नहीं होता तो प्रतिवादी संख्या 1 को इस बाबत प्रस्ताव लेने का क्या अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त जायदाद पर वादिया का कब्जा व स्वामित्व मानकर ही उपरोक्त प्रस्ताव लिये गये है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बादिया के पक्ष में दिनांक 05.04.2017 व दिनांक 05.05.2017 को लिये गये प्रस्ताव की पालना नहीं करने के कारण व गलत रूप से वादग्रस्त दुकाने आवंटन करने के कारण वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा पंचायत की जमीन पर दुकाने निर्मित होने के पश्चात् वादग्रस्त दुकान व उससे लगती हुई दुकानो को

पूर्व में लोगों को व प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को गलत तरीके से आवंटन कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 2 विकास अधिकारी बागीदौरा द्वारा अपने पत्र कमांक पं.स.बा/प्रगति/10-11/1360-61 दिनांक 05.10.2010 को ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा किया गया आवंटन निरस्त किया गया है। उसके पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 1 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान व उससे लगती हुई दुकान को वर्तमान में पुनः गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल व अन्य लोगो को आवंटित की जा रही है। वादिया का दावा कानून की परिधि में होकर पोषणीय है तथा प्रतिवादीगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर प्रतिवादी संख्या 5 कमल पटेल को अवैध व अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाना चाहते है, जिस कारण सुविधा का सन्तुलन व अपार सुविधा का सन्तुलन वादिया के पक्ष में है, जिससे जवाब सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

3. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किये गये। तत्पश्चात् वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी साक्षी संख्या 01 राखी सोनी एवं वादी साक्षी संख्या 02 चन्द्रकान्त को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 08 दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी साक्षी संख्या 01 कमल पटेल एवं प्रतिवादी साक्षी संख्या 02 गोपाल को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में कुल 12 दस्तावेजात् को प्रदर्शित करवाया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर आक्षेपित निर्णय/डिक्री पारित की जाकर वादी का वाद-पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित व असंतुष्ट होकर वादी/अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थीया/वादिया के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत साक्ष्य का उचित विवेचन किये बिना निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलार्थीया/वादिया ने अपने परीक्षण के दौरान बताई है कि प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान के संबंध में दिनांक 05.04.2017 प्रदर्श 01 एवं दिनांक 05.05.2017 प्रदर्श 02 प्रस्ताव लाया था जिसके उपरांत भी प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 तक वादग्रस्त दुकान का आवंटन अपीलार्थी को नहीं किया। अपीलार्थी ने नोटिस प्रदर्श 03 से लगायत 08 तक प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 को प्रस्तुत किया है। वादी साक्षी संख्या 02 चन्द्रकाता सोनी ने अपने मुख्य परीक्षण में अपीलार्थिया के द्वारा प्रस्तुत अभिकथन व दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। प्रतिवादी संख्या 05 कमल पटेल ने जवाबदावा प्रस्तुत किया है जिसके ए से बी भाग में दुकान संख्या

13 अंकित की गई है जिसमें यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श ए 11 व ए 12 में दुकान नंबर अंकित नहीं है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श ए 01 में उसके साथ देवीलाल, धनपाल, मनोहर को ग्राम पंचायत कलिंजरा की दुकान आवंटित की गई थीं जिसमें दुकान नंबर अंकित नहीं हैं। प्रतिवादी साक्षी गोपाल ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श 01 व 02 पंचायत कलिंजरा का प्रस्ताव है। यह भी स्वीकार किया है कि वादपत्र में वह पक्षकार नहीं है। प्रदर्श डी.01 व प्रदर्श डी.02 में उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। इस बात से अनभिज्ञता जाहिर किया है कि वादग्रस्त दुकान प्रतिवादी कमल पटेल को आवंटित की हो तो उसे पता नहीं। इस बात की भी स्वीकारोक्ति रही है कि प्रदर्श ए.01 और ए.12 पर कोई दुकान नंबर अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 03.11.2025 में यह अंकित किया कि अधिनियम, 1994 की धारा 61 में पंचायत के द्वारा अधिनियम के नियम और उपविधियों के तहत पारित किसी आदेश या निर्देश के विरूद्ध पंचायत समिति की स्टैण्डर्ड कमेटी के समक्ष अपील किये जाने पर सुने जाने का प्रावधान है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान का आवंटन वादिया को नहीं करने के कारण वादिया द्वारा दिनांक 14.07.2014 को सुगम समाधान में इस बाबत आपत्ति दर्ज करवाई गई उसके पश्चात् वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बांसवाड़ा को दिनांक 04.06.2017 को लिखित रिपोर्ट को प्रस्तुत की। उसके पश्चात वादिया विकास अधिकारी, बागीदौरा को दिनांक 19.06.2018 को वादिया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा के समक्ष उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वादिया द्वारा प्रमुख शासन सचिवालय, जयपुर को भी इस बाबत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण वादिया द्वारा दिनांक 19.06.2018 को अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत किया था। उसके पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 द्वारा वादग्रस्त दुकान का आवंटन वादिया को नहीं किया गया न ही इस संबंध में कोई विधि सम्मत कार्यवाही की गई। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद निरस्त किया गया है जो तथ्यों के विरूद्ध व विधिसंगत नहीं है। परिणामतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 03.11.2025 को निरस्त किया जाकर आदेश दिया जावे कि वादग्रस्त दुकान संलग्न नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शायी गई होकर जिसकी साईज उत्तर दक्षिण 11 फीट 6 इंच, पूर्व-पश्चिम 17 फीट 10 इंच, जिसके पूर्व में दाहोद बांसवाड़ा मैन रोड़, पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 01 की जमीन व दुकान, उत्तर में प्रतिवादी संख्या 01 की दुकान, दक्षिण में प्रतिवादी

संख्या 01 की जायदाद, वाके कलिंजरा, तहसील बागीदोरा, जिला बांसवाड़ा में स्थित है को वादिया/अपीलार्थीया को प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या 01 से 04 से प्रतिमाह किराये पर दिलाई जावे तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा दिनांक 05.04.2017 व दिनांक 05.05.2017 को वादिया के पक्ष में लिए गए प्रस्ताव की पालना कराई जाये एवं अन्य कोई अनुतोष, जो न्यायालय उचित समझे तथा अभिभाषक शुल्क अपीलार्थीया/वादिया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 तथा 02 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रदर्श डी.01 तथा प्रदर्श डी.02 में यह कहीं अंकन नहीं आया है कि कौन सी विशिष्ट दुकान अपीलार्थी को दी गई है, न ही उसमें संख्या का अंकन हुआ है जहां कि वादग्रस्त दुकान के स्वामित्व ग्राम पंचायत को है। अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई किराया राशि भी जमा नहीं करवाया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत जिला कलक्टर के पास रिवीजन पेश किया जा सकता है, न कि यहां सिविल न्यायालय में वाद लाया जा सकता है।

प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 03 से 04 की ओर से लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अपीलार्थीया/वादिया का वाद धारा 109 पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत मेंटेनेबल ही नहीं है। ऐसे में अपील को खारिज की जावे। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 05 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 05.04.2017 तथा 05.05.2017 के द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पंचायत द्वारा नहीं लिाया गया है जिसमें कोई विशिष्ट दुकान अर्थात् वादग्रस्त दुकान अपीलार्थी को दिये जाने का अंकन किया गया हो जबकि प्रतिवादी संख्या 05 ने राशि ढाई लाख रुपये पंचायत की निधि में जमा कराया था जब पंचायत के कोष में राशि की कमी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री साक्ष्य एवं विधि के अनुसार सही है जिसमें विधि एवं तथ्यों की कोई त्रुटि नहीं होकर किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव अपील को निरस्त किया जावे।

5. तर्कों को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है जिन दोनों ही विवाद्यकों को साबित करने का भार वादिया पर है। अपीलार्थीया/वादिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये बहस के दृष्टिगत दोनों विवाद्यकों के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्यों का विवेचन किया जावे तो इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज वादिया की ओर से प्रदर्शित करवाये गये प्रदर्श 01 प्रस्ताव दिनांक 05.04.2017 का अवलोकन करें तो प्रस्ताव में यह स्पष्ट अंकित है कि सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती राखी सोनी

पति चन्द्रकान्त सोनी की अस्थाई दुकान हटा कर नवीन दुकान की निर्माण की स्वीकृति जारी की जावे''। इसी प्रकार से वादिया की ओर प्रस्तुत प्रदर्श 02 प्रस्ताव दिनांक 05.05.2017 में भी यह स्पष्ट अंकित है कि सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती राखी सोनी पति चन्द्रकान्त सोनी जो कि अस्थाई केबिन में दुकान का संचालन कर रहे हैं, को हटा कर वहां नवीन दुकान की स्वीकृति जारी करके दुकान निर्माण का कार्य करवाया जावे। श्रीमती राखी सोनी को कॉम्पलेक्स में दुकान आवंटन में उसे प्राथमिकता से दुकान देने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से लिया गया। जहां तक वादिया के अतिक्रमी होने का प्रतिवादीगण का तर्क है, में कोई बल होना नहीं पाया जाता है, चूंकि स्वयं ग्राम पंचायत ने ही वादिया को अपने प्रस्ताव में अस्थाई केबिन में दुकान चलाना माना है, अतिक्रमी नहीं माना। इसके अलावा प्रस्ताव में वादिया को कॉम्पलेक्स में दुकान आवंटन में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा गया है, परन्तु दुकान का कोई नंबर अथवा हद्‌द निर्धारित नहीं की गई है। जहां तक कॉम्पलेक्स में वादिया को दुकान आवंटित किये जाने का प्रश्न है, तो प्रदर्श डी.01 के अवलोकन से दिनांक 09.06.2021 को वादिया को कॉम्पलेक्स में दुकान संख्या 04 आवंटित की जाकर चाबी सुपुर्द कर दी गई है। ऐसे में दिनांक 05.04.2017 व 05.05.2017 के प्रस्तावों की पालना ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना साबित पाया जाता है। जहां तक वादिया व उसकी सास द्वारा विगत 40 वर्षो से ग्राम कलिंजरा में गुमटी बना कर श्रृंगार स्टोर की दुकान करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में वादिया की ओर से कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं की गई है। उक्त गुमटी लगाये जाने बाबत् सक्षम संस्था यथा ग्राम पंचायत से कोई स्वीकृति अथवा गुमटी की कोई किराया रसीद, बिजली बिल आदि कोई दस्तावेज वादिया की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वादिया का यह विधिक अधिकार नहीं है कि वह स्वेच्छा से उस स्थान का चयन करे जहां कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव के अनुसार उसे कॉम्पलेक्स में दुकान आवंटन में प्राथमिकता देते हुए दुकान संख्या 04 आवंटित कर चाबी सुपुर्द कर दी गई है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिया जिस स्थान पर विगत 40 वर्षो से गुमटी लगा कर दुकान करना बता रही है, वह स्थान ग्राम पंचायत/ सरकार के स्वामित्व का है। न्यायालय के विनम्र मत में किसी भी भूस्वामी को यह विधिक अधिकार है कि वह अपनी भूमि का क्या व कैसे उपयोग व उपभोग करे तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूस्वामी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

जहां तक वादग्रस्त दुकान प्रतिवादी संख्या 05 को आवंटित किये जाने का प्रश्न है, के संबंध में वादी साक्षी संख्या 01 राखी सोनी एवं वादी साक्षी संख्या 02 चन्द्रकान्त ने परीक्षण में ग्राम पंचायत कलिंजरा द्वारा वादग्रस्त दुकान व उससे

लगती हुई दुकानों को पूर्व में लोगों को एवं प्रतिवादी संख्या 05 कमल पटेल को गलत तरीके से आवंटन कर दी गई थी जो आवंटन प्रतिवादी संख्या 02 विकास अधिकारी, बागीदौरा द्वारा निरस्त किया जाना, उसके पश्चात् भी गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 05 कमल पटेल व अन्य लोगों को आवंटित किया जाना बताया है, जबकि प्रति-परीक्षण में इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि सन् 2007 में ग्राम पंचायत ने कुछ लोगों को कॉम्पलेक्स में दुकान आवंटित करने का प्रस्ताव लिया हो। इस संबंध में भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि कमलजी, देवीलाल, धनपाल, मनोहर को पंचायत ने अलग-अलग राशि लेकर दुकान बना कर देने का निर्णय लिया हो। इस संबंध में भी अनभिज्ञता जाहिर की है कि कमलजी, देवीलाल, धनपाल, मनोहर को पंचायत ने अलग-अलग राशि लेकर दुकान बना कर देने का निर्णय लिया हो तथा कमल पटेल की दुकान रोड़ में आने के कारण हटा कर गिराने का प्रस्ताव लिया हो। वादिया के द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त दुकान ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 कमल पटेल को आवंटित कर दी गई हो जबकि पत्रावली पर आई साक्ष्य के अनुसार कमल पटेल को कॉम्पलेक्स में दुकान संख्या 13 आवंटित किये जाने का तथ्य सामने आया है और इसी प्रकार से इसी कॉम्पलेक्स में वादिया को दुकान संख्या 04 आवंटित की जाकर चाबी सुपुर्द किया जाना स्वयं वादी साक्षीयों ने कहा है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में अंकित किये गये इन तथ्यों से यह न्यायालय भी अपनी सहमति व्यक्त करता है कि ग्राम पंचायत अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से अपने स्वामित्व की सम्पत्तियों का उचित प्रबंधन, उन्हें किराये पर देने, आय प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है एवं एक संवैधानिक संस्था है, जिसके विधिक कार्यों में न्यायालय के द्वारा अनुचित रूप से व्यवधान, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में वादिया विवाद्यक संख्या 01 एवं विवाद्यक संख्या 02 को अपने पक्ष में साबित करने में विफल रही है तथा विचारण न्यायालय द्वारा इन दोनों विवाद्यकों के संबंध में आक्षेपित निर्णय में किये गये विवेचन में कोई विधि या तथ्य की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अतः विवाद्यक संख्या 01 एवं विवाद्यक संख्या 02 वादिया के विरूद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 03

6. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 03 में यह विधिक बिन्दु अन्तर्निहित है कि वाद आदेश 27 नियम 1 एवं आदेश 29 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से पोषणीय नहीं है, के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में किये गये विवेचन से यह न्यायालय भी अपनी सहमति व्यक्त

करता है। आदेश 27 नियम 1 में सरकार द्वारा या उसके विरूद्ध वाद तथा अपनी पदीय हैसियत में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरूद्ध वादों से संबंधित हैं जो प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू होना प्रकट नहीं होता है। वहीं आदेश 29 नियम 01 में निगम द्वारा या उनके विरूद्ध वाद में अभिवचन पर हस्ताक्षर किया जाना और उसके सत्यापन से संबंधित है, जो पंचायतीराज संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं। प्रतिवादी साक्षी गोपाल ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे इस विवाद्यक बाबत् तथ्य को साबित माना जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में किये गये विवेचन से यह न्यायालय अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, विवाद्यक संख्या 03 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04

7. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 04 भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार से संबंधित होकर विधिक बिन्दु अन्तर्निहित है। इस संबंध में दौराने बहस प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण का जोरदार तर्क रहा है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका राज्य सरकार को संस्थित की जायेगी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने मान्य न्याय दृष्टांत मेवाराम बनाम राजस्थान राज्य एस.बी. सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 794/1997 को उद्धृत करते हुए किये गये विवेचन से यह न्यायालय भी अपनी सहमति जाहिर करता है। मान्य न्याय दृष्टांत मेवारात बनाम राजस्थान राज्य का ससम्मान अवलोकन करने पर यह अभिमत व्यक्त किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के विरूद्ध धारा 61 के तहत पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष अपील किये जाने का उपचार उपलब्ध होने से सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित माना है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 में पंचायत द्वारा अधिनियम, नियम और उपविधियों के तहत पारित किसी आदेश या निर्देश के विरूद्ध पंचायत समिति की स्टेण्डिंग कमेटी के द्वारा अपील किये जाने पर सुने जाने का प्रावधान है। यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 41 में व्यादेश को अस्वीकार किये जाने का प्रावधान है, की उपधारा (ज) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जबकि समानतः प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो सिवाय न्यास भंग की दशा के। विधिक रोशनी में हस्तगत मामले को देखा जावे तो यहां यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के द्वारा पारित प्रस्ताव या आदेश के विरूद्ध पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष अपील किये जाने का उपचार वादिया के पास

उपलब्ध था। वादिया ने विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, प्रमुख शासन सचिवालय आदि शासकीय संस्थाओं के समक्ष शिकायत करना कहा है, परन्तु ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विरूद्ध पंचायत समिति के स्टेंडिंग कमेटी के समक्ष अपील करने की कोई तथ्य वादिया की ओर से प्रस्तुत नहीं हुई है। हस्तगत वाद में वादिया को प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत कलिंजरा के द्वारा लिये गये प्रस्ताव के संबंध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत वैकल्पिक प्रभावी उपचार उपलब्ध रहा है, जिससे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत वादिया को निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादिया का वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं पाया जाकर, विवाद्यक संख्या 04 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष -

8. प्रकरण में अपीलार्थी/वादी विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है तथा विवाद्यक संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया गया है जबकि विवाद्यक संख्या 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादिया का वाद अस्वीकार किये जाने में कोई विधि या तथ्य की त्रुटि होना नहीं पाये जाने से, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

आदेश

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थीया/वादिया श्रीमती राखी सोनी पति चन्द्रकान्त सोनी, निवासी कलिंजरा, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा की ओर से प्रस्तुत अपील एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, बागीदौरा के आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.11.2025 की पुष्टि की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तद्नुसार अपील की डिक्री बनाई जावे। निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे। विचारण न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जावे।

(राम सुरेश प्रसाद)

10. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम सुरेश प्रसाद)